क्रमांक 9 /स.प्र.शा./स.शा./मुख्या/2012 रायपुर, दिनांक 7/1/2012
प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग क्र0.–03 रायपुर

विषयः–धरमपुरा रायपुर में अखिल/भारतीय सेवकों/केन्द्रीय सिविल ग्रुप (ए) सेवा एवं उच्चन्यायिक सेवा के अधिकारियों को आवंटित भू–खण्ड़ पर आधिपत्य के तीन वर्ष के अन्दर भवन निर्माण हेतु समय सीमा बढ़ाये जाने बाबत्।

संदर्भः–34वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 27.12.2011 के पद संख्या 23 पर पारित निर्णय

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा धरमपुरा रायपुर में अखिल भारतीय सेवकों/केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप (ए) एवं उच्चन्यायिक सेवा के अधिकारियों को विकसित भू–खण्ड आबंटित किये गये है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न आबंटन के नियम एवं शर्त क्रमांक 10 तथा लीजडीड की कंडिका 12 (ए) में उल्लेख है कि भू–खण्ड़ का आधिपत्य प्राप्त होने के तीन वर्ष के अंदर स्वीकृत बिल्डिंग प्लान अनुसार भवन निर्माण कराना होगा अन्यथा जमा कि गई राशि बिना ब्याज के वापस कर आबंटन निरस्त कर भू–खण्ड वापस ले लिया जायेगा एवं किसी अन्य पात्र को आबंटित किया जाएगा।

धरमपुरा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा 254 भू–खण्ड आबंटित किये गये है जिसमें से गात्र 7 लोगों द्वारा ही भवन निर्मित किये जा रहे है । उपरोक्त स्थल शहर से लगभग 9 कि.मी. है तथा आसपास वर्तमान में कोई बसाहट नहीं है। इसके साथ ही कालोनी के आसपास वर्तमान में दैनिक उपयोग की वस्तुओं हेतु दुकाने, अस्पताल, स्कूल आदि नहीं है। ऐसी स्थिति मे वर्तमान स्थल में भवन बनाकर रहना अत्यंत कठिन है तथा कंडिका का पालन करते हुए भवन निर्मित किया जाता है तो हितग्राही की पूंजी बिना प्रयोजन के व्यय हो जावेगी।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मण्डल के 34वॉ सम्मिलन दिनांक 27.12.2011 के पद संख्या क्र0.–23 पर पारित संकल्प क्रमांक 940–23/34/12/2011 द्वारा निर्णय लिया गया है कि धरमपुरा रायपुर में अखिल भारतीय सेवकों/केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप (ए) एवं उच्चन्यायिक सेवा के अधिकारियों को आबंटित भू–खण्ड के साथ संलग्न आबंटन नियम एवं लीजडीड की कंडिका 12 (ए) में उल्लेखित शर्त को शिथिल करते हुए आगामी तीन वर्ष अर्थात 31 दिसंबर 2014 तक समयावधि बढ़ाया जाकर निर्माण किये जाने कि छूट दिये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

तदनुसार कार्यवाही करें।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

पृष्ठा. क्रमांक 10 /स.प्र.शा./स.शा./मुख्या/2012 रायपुर, दिनांक 7/1/2012

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय, अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,रायपुर ।
2. निज सहायक आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,रायपुर ।
3. मण्डल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
4. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
5. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय, रायपुर।
6. उपायुक्त–I(योजना)/उपायुक्त–II (विकास)छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय, रायपुर।
7. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।
8. संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,मुख्यालय,रायपुर ।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर

New Delhi A 110